

## पहली तिमाही में रेलवे ने गंदगी फैलाने वालों पर 1266 पर कार्रवाई की, रुपये 01 लाख 60 हजार से अधिक जुर्माना वसूला

जबलपुर 25 जुलाई। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मण्डलों के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। महाप्रबंधक श्री सुधीर कुमार गुप्ता के निर्देश पर तथा प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री मुकुल सरन माथुर के नेतृत्व में रेलवे स्टेशनों एवं रेलगाड़ियों में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाती है, साथ ही नियमित उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को भी जागरूक किया जाता है। इसके अंतर्गत यात्रियों से स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने, धूम्रपान नहीं करने तथा यहां वहां गंदगी नहीं करने का अनुरोध किया जाता है। बार-बार समझाईश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जाती है।

मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि माह जून 2022 में पमरे के तीनों मण्डलों में कुल 346 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तथा उनसे 48 हजार 60 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून 2022 तक गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में कुल 1266 व्यक्तियों के मामले पकड़े गए, जिनसे कुल 01 लाख 60 हजार 150 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जुर्माने के साथ साथ ऐसे लोगों को समझाईश भी दी जाती है। साथ ही गंदगी से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए स्टेशन परिसर स्वच्छ रखने के लिए अनुरोध भी किया जाता है।

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, रेल परिसर में कृपया गंदगी न फैलाएं। स्टेशन का वातावरण स्वच्छ, सुंदर रखने में रेल प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बनें। गंदगी करने वालों के विरुद्ध आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

संख्या: पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/271/2022

दिनांक 25.07.2022

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें।

सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी  
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर